राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.2(18)नविवि/3/2017 जयपुर, दिनांक 19 FEB 2020

आदेश

स्थानीय निकाय यथा विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पालिकाओं तथा राजस्थान आवासन मण्डल को समसंख्यक आदेश दिनांक 21.06.2017 के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि इनके क्षेत्रों में स्थित जिन भूखण्डों पर बहुमंजिला फ्लेट/काम्पलेक्स में भवन निर्माता द्वारा फ्लेटस/दूकानों/ऑफिस पृथक–पृथक रूप से अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिए है, तो ऐसी स्थिति में भूखण्ड पर लीज की देयता विक्रय किए जाने के पश्चात् अनुपातिक रूप से सभी क्रेताओं की होगी। ऐसे क्रय उपरान्त क्रेताओं/उपयोगकर्ताओं की सूची मय विक्रय के प्रमाणिक एवं विधिक स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों के विक्रयकर्ता/विकासकर्ता अर्थात पूर्व भूखण्डधारी द्वारा सम्बन्धित संस्था को प्रस्तुत कराई जाएगी, इसके अभाव में उक्त लीज राशि की वसूली विक्रयकर्ता से की जाएगी।

वर्तमान क्रेता/भूखण्डधारी यदि एकमुश्त राशि जमा कराना चाहें तो यह भी अनुमत होगा। समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा लीज राशि जमा कराने के सम्बन्ध में दी जाने वाली छूट का लाभ भी इन्हें प्रदत्त होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, जोधपुर/जयपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
6. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग।
7. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
8. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग राज0 जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।
9. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner